न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2021-88RAAJodhpur2021-34RTA223 Lrs of Punama ors Vs Shankar et 2021-91RAAJodhpur2021-33RTA223 Lrs of Punama ors Vs Shankar etc

1. पूनमा उर्फ पूनाराम पुत्र स्व. मदरूप जी (मृतक) के विधिक प्रतिनिधिः–
   1.1. मोहनलाल पुत्र स्व पूनमा उर्फ पूनाराम (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि
      1.1.1. श्रीमती कमला पत्नी स्व. मोहनलाल
      1.1.2. जगदीश पुत्री स्व. मोहनलाल
      1.1.3. राजूराम पुत्र स्व. मोहनलाल
      1.1.4. इन्द्रा पुत्री स्व. मोहनलाल
   1.2. केसाराम पुत्र स्व. पूनमा उर्फ पूनाराम
   1.3. कुकाराम पुत्र स्व. पूनमा उर्फ पूनाराम
   1.4. मदनलाल पुत्र स्व. पूनमा उर्फ पूनाराम
   1.5. बाबूलाल पुत्र स्व पूनमा उर्फ पूनाराम (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि –
      1.5.1. कैलाश उर्फ पिन्टु पुत्र स्व बाबूलाल
   1.6. हरचंदराम पुत्र स्व पूनमा उर्फ पूनाराम
   1.7. बुद्धाराम पुत्र स्व पूनमा उर्फ पूनाराम
   1.8. छगनाराम पुत्र स्व पूनमा उर्फ पूनाराम
   1.9. बालाराम पुत्र स्व पूनमा उर्फ पूनाराम (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि
      1.9.1. श्रीमती देवी पत्नी स्व बालाराम
      1.9.2. प्रेम पुत्र स्व बालाराम
      1.9.3. रमेश पुत्र स्व. बालाराम (मृतक) लाऔलाद

सभी जातियान सरगरा, सभी निवासीगण ग्राम नंदवान तहसील लूणी जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. शंकर उर्फ शंकरलाल पुत्र स्व. सेरा उर्फ शेराराम, जाति सरगरा, निवासी ग्राम नंदवान तहसील लूणी जिला जोधपुर के विधिक प्रतिनिधिः–
   1.1. नरपत पुत्र स्व. मोहनलाल, जाति सरगरा, निवासी– सांगरिया फांटा, जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर।
2. भानिया उर्फ भानाराम पुत्र स्व. मदरूप जी (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि
   2.1. भैराराम पुत्र स्व भानिया उर्फ भानाराम (मृतक) के विधिक प्रतिनिधिः–
      2.1.1. श्रीमती भीखी पत्नी स्व भैराराम
      2.1.2. कुकाराम पुत्र स्व भैराराम
      2.1.3. बंशीलाल पुत्र स्व भैराराम (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2.1.3.1. श्रीमती पुष्पा पत्नी स्व. बशीलाल
2.1.3.2. कालूराम पुत्र स्व बंशीलाल
2.1.3.3. प्रदीप पुत्र स्व. बंशीलाल
2.1.3.4. संगीता पुत्री स्व. बंशीलाल
2.1.4. प्रतापराम पुत्र स्व भैराराम
2.1.5. अशोक पुत्र स्व. भैराराम
2.1.6. सायरी पुत्री स्व भैराराम
2.2. बीरमाराम पुत्र स्व. भानिया उर्फ भानाराम (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि
2.2.1. श्रीमती सुआ पत्नी स्व. बीरमाराम (मृतक)
2.2.2. कैलाश पुत्र स्व. बीरमाराम
2.2.3. अनिल पुत्र स्व बीरमाराम
2.2.4. मुकेश पुत्र स्व. बीरमाराम
2.2.5. मनीष पुत्र स्व. बीरमाराम
2.2.6. मीमा पुत्री स्व. बीरमाराम
2.2.7. एलची पुत्री स्व बीरमाराम ,
2.2.8. सरोज पुत्र स्व बीरमाराम
2.3. हरचंद पुत्र स्व भानिया उर्फ नानाराम (मृतक) के विधिक प्रतिनिधिः–
2.3.1. महेन्द्र पुत्र रव हरचंद
2.3.2. पिन्टु पुत्र स्व. हरचंद
2.3.3. दौलाराम पुत्र स्व. हरचंद
2.3.4. भूपेन्द्र पुत्र स्व हरचंद
2.3.5. श्रीमती टीपू पत्नी स्व. हरचद
2.3.6. सुन्दर पुत्री स्व. हरचंद
3. मोटिया उर्फ मोटाराम पुत्र स्व मदरूप जी (मृतक) के निधिक प्रतिनिधिः–
3.1. रणछोडराम पुत्र स्व. मोटिया उर्फ मोटाराम
4. मंगलिया उर्फ मंगलाराम पुत्र स्व मदरूप जी (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि
4.1. भल्लाराम पुत्र स्व. मंगलिया उर्फ मंगलाराम
4.2. हडमानराम पुत्र स्व. मंगलिया उर्फ मंगलाराम
4.3. गीता पुत्री स्व मंगलिया उर्फ मंगलाराम
4.4. दाखु पुत्री स्व. मगलिया उर्फ मगलाराम
4.5. धापू पुत्री स्व मंगलिया उर्फ मंगलाराम
4.6. मुन्नी पुत्री स्व मंगलिया उर्फ मंगलाराम

सभी जातियान सरगरा, निवासीगण ग्राम नंदवान तहसील लूणी जिला जोधपुर।

5. राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02 दिसंबर 2019 सहायक कलक्टर लूणी राजस्व मूल वाद संख्या 92/2014 शंकर बनाम भानिया इत्यादि

---

(2) 2021-88RAAJodhpur2021-34RTA223 Lrs of Punama ors Vs Shankar etc

1. पूनमा उर्फ पूनाराम पुत्र स्व. मदरूप जी (मृतक) के विधिक प्रतिनिधिः–
   - 1.1. मोहनलाल पुत्र स्व पूनमा उर्फ पूनाराम (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि
     - 1.1.1. श्रीमती कमला पत्नी स्व. मोहनलाल
     - 1.1.2. जगदीश पुत्री स्व. मोहनलाल
     - 1.1.3. राजूराम पुत्र स्व. मोहनलाल
     - 1.1.4. इन्द्रा पुत्री स्व. मोहनलाल
   - 1.2. केसाराम पुत्र स्व. पूनमा उर्फ पूनाराम
   - 1.3. कुकाराम पुत्र स्व. पूनमा उर्फ पूनाराम
   - 1.4. मदनलाल पुत्र स्व. पूनमा उर्फ पूनाराम
   - 1.5. बाबूलाल पुत्र स्व पूनमा उर्फ पूनाराम (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि –
     - 1.5.1. कैलाश उर्फ पिन्टु पुत्र स्व बाबूलाल
   - 1.6. हरचंदराम पुत्र स्व पूनमा उर्फ पूनाराम
   - 1.7. बुद्धाराम पुत्र स्व पूनमा उर्फ पूनाराम
   - 1.8. छगनाराम पुत्र स्व पूनमा उर्फ पूनाराम
   - 1.9. बालाराम पुत्र स्व पूनमा उर्फ पूनाराम (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि
     - 1.9.1. श्रीमती देवी पत्नी स्व बालाराम
     - 1.9.2. प्रेम पुत्र स्व बालाराम
     - 1.9.3. रमेश पुत्र स्व. बालाराम (मृतक) लाऔलाद

       सभी जातियान सरगरा, सभी निवासीगण ग्राम नंदवान तहसील लूणी जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

6. शंकर उर्फ शंकरलाल पुत्र स्व. सेरा उर्फ शेराराम, जाति सरगरा, निवासी ग्राम नंदवान तहसील लूणी जिला जोधपुर के विधिक प्रतिनिधिः–
   - 6.1. नरपत पुत्र स्व. मोहनलाल, जाति सरगरा, निवासी– सांगरिया फांटा, जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

7. भानिया उर्फ भानाराम पुत्र स्व. मदरूप जी (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि
    7.1. भैराराम पुत्र स्व भानिया उर्फ भानाराम (मृतक) के विधिक प्रतिनिधिः–
        7.1.1. श्रीमती भीखी पत्नी स्व भैराराम
        7.1.2. कुकाराम पुत्र स्व भैराराम
        7.1.3. बंशीलाल पुत्र स्व भैराराम (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि
            7.1.3.1. श्रीमती पुष्पा पत्नी स्व. बशीलाल
            7.1.3.2. कालूराम पुत्र स्व बंशीलाल
            7.1.3.3. प्रदीप पुत्र स्व. बंशीलाल
            7.1.3.4. संगीता पुत्री स्व. बंशीलाल
        7.1.4. प्रतापराम पुत्र स्व भैराराम
        7.1.5. अशोक पुत्र स्व. भैराराम
        7.1.6. सायरी पुत्री स्व भैराराम
    7.2. बीरमाराम पुत्र स्व. भानिया उर्फ भानाराम (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि
        7.2.1. श्रीमती सुआ पत्नी स्व. बीरमाराम (मृतक)
        7.2.2. कैलाश पुत्र स्व. बीरमाराम
        7.2.3. अनिल पुत्र स्व बीरमाराम
        7.2.4. मुकेश पुत्र स्व. बीरमाराम
        7.2.5. मनीष पुत्र स्व. बीरमाराम
        7.2.6. मीमा पुत्री स्व. बीरमाराम
        7.2.7. एलची पुत्री स्व बीरमाराम ,
        7.2.8. सरोज पुत्र स्व बीरमाराम
    7.3. हरचंद पुत्र स्व भानिया उर्फ नानाराम (मृतक) के विधिक प्रतिनिधिः–
        7.3.1. महेन्द्र पुत्र रव हरचंद
        7.3.2. पिन्टु पुत्र स्व. हरचंद
        7.3.3. दौलाराम पुत्र स्व. हरचंद
        7.3.4. भूपेन्द्र पुत्र स्व हरचंद
        7.3.5. श्रीमती टीपू पत्नी स्व. हरचद
        7.3.6. सुन्दर पुत्री स्व. हरचंद
8. मोटिया उर्फ मोटाराम पुत्र स्व मदरूप जी (मृतक) के निधिक प्रतिनिधिः–
    8.1. रणछोडराम पुत्र स्व. मोटिया उर्फ मोटाराम
9. मंगलिया उर्फ मंगलाराम पुत्र स्व मदरूप जी (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि
    9.1. भल्लाराम पुत्र स्व. मंगलिया उर्फ मंगलाराम
    9.2. हडमानराम पुत्र स्व. मंगलिया उर्फ मंगलाराम
    9.3. गीता पुत्री स्व मंगलिया उर्फ मंगलाराम
    9.4. दाखु पुत्री स्व. मगलिया उर्फ मगलाराम
    9.5. धापू पुत्री स्व मंगलिया उर्फ मंगलाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

9.6. मुन्नी पुत्री स्व मंगलिया उर्फ मंगलाराम
सभी जातियान सरगरा, निवासीगण ग्राम नंदवान तहसील लूणी जिला जोधपुर।
10. राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20 जनवरी 2020 सहायक कलक्टर लूणी राजस्व मूल वाद संख्या 92/2014 शंकर बनाम भानिया इत्यादि

उपस्थित–
श्री नथाराम चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री हनुमान प्रजापति, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 05

<u>नि र्ण य</u>

दिनांक : 11 मार्च 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 92/2014 अनवान शंकर बनाम भानिया इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री 02 दिसंबर 2019 निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20 जनवरी 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 09 मार्च 2021 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा दोनो अपीलों में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपीले प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

दोनो प्रकरणों की विषय–वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग–अलग निर्णय की प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 282 रकबा 53 बीघा 02 बिस्वा ग्राम नंदवान तहसील लूणी के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08 अप्रैल 2017 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई। प्रतिवादीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 अप्रैल 2017 को अपास्त कर दिया तथा वाद की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 दिसंबर 2019 के जरिये वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार लूण से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20 जनवरी 2020 पारित कर वादी का वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय पारित निर्णय व जारी प्राथमिक डिकी दिनांक 02.12.2019 न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों दस्तावेजों के विपरीत मनमाने ढंग से पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं होने के आधार पर ही खारिज किये गये है, इसके बावजूद अपीलान्ट शंकर की ओर से शेष प्रतिवादीगण के सम्मन प्रस्तुत ही नहीं किये गये है और न ही विचारण न्यायालय द्वारा जारी ही किये गये है। जिसकी पुष्टि विचारण न्यायालय द्वारा अंकित आदेशिकाएँ दिनांक 12.3.2019, 9.4.2019, 28.5.2019 व 23.07.2019 से होती है। दिनांक 5.8.2019 को प्रतिवादी संख्या 4/3, 4/4 व 4/8 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा नो–स्ट्रेक्शन प्लीड करना अंकित है, परन्तु उन प्रतिवादीगण को भी विचारण न्यायालय द्वारा वाद में उनके अधिवक्ता द्वारा नो–स्ट्रेक्शन प्लीड करने व वाद की आगामी तारीख की सूचना नहीं दी गई है एवं विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.2019 को अपने मनमाने ढंग से प्रतिवादीगण को सुना जाना अंकित करते हुए दुबारा निर्णय दिनाक 02.12.2019 पारित करते हुए प्राथमिक डिकी पारित की गई है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्व पुरूष एक ही थे अर्थात एक ही पिता के दो पुत्र मदरूप तथा शंकर हुए है। वादी के पिता का नाम सेरा उर्फ शेराराम है, लेकिन मदरूप जी के पिता का नाम सेरा उर्फ शेराराम न होकर छलाराम जी था। विचारण न्यायालय द्वारा अपने द्वारा पारित निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 02 12 2019 के जरिये ग्राम नंदवान पटवार हल्का नंदवान तहसील लूणी जिला जोधपुर में स्थित वादग्रस्त खसरा नम्बर 282 की की कुल भूमि रकबा 53 बीघा 02 बिस्वा में वादी शंकर का हिस्सा 1/2 होना व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का संयुक्त रूप से हिस्सा 1/2 मानने व घोषित करने में बड़ी भारी कानूनी एवं वाक्याती त्रुटि की गई है। जबकि खतौनी मौजा नंदवान परगना जोधपुर गवर्नमेंट संवत 1999 जिसकी प्रमाणित नकल अपीलान्टगण की ओर से अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संलग्न करते हुए अपीलान्टगण द्वारा इस अपील के साथ प्रस्तुत की गई है, से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त खसरे की भूमि संवत 1999 में भानिया, मोटिया, मंगलिया, वधिया, गिरधारी, पूनिया पुत्रगण मदरूप, शंकरिया पुत्र शेरिया की कब्जे की भूमि थी व जिस भूमि में इन सभी 6 व्यक्तियों का बराबर बराबर हिस्सा था। जिस भूमि के बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संवत 2012 में प्रभाव में आने पर इन सभी वादग्रस्त भूमि के बाबत खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्व पुरुष के खातेदारी की भूमि कभी भी नहीं रही है। वादग्रस्त भूमि में वादी शंकर का हिस्सा 1/2 न होकर मात्र 1/6 है यानि वादग्रस्त खसरा नम्बर 282 की भूमि में से 1/6 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी शंकर का है, जिस भूमि पर भी वादी/ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शंकर का पिछले 30-40 वर्षों से कब्जा नहीं रहने से वादी के उक्त खातेदारी/खुद काश्त अधिकारों का भी कानूनन अवसान (Extinction of Khudkasht right) ही चुके है एवं वादी के हिस्सा की भूमि के बाबत प्रतिवादीगण को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का अब किसी भी प्रकार से कोई हक--हिस्सा, अधिकार एवं कब्जा नहीं रहा है। जिस आधार पर भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनाक 02.12.2019 अपास्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार लूणी द्वारा विभाजन नियम 18 से 21 की पालना में स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार न कर हल्का पटवारी द्वारा तैयार किया गया है तथा वक्त विभाजन प्रस्ताव तैयारी अपीलांट्स को सूचित नही किया गया तथा उनकी अनुपस्थिति में मौके के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स को विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विधि–विरूद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित कर दी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष <u>अपीलांट्स / प्रतिवादीगण</u> के अधिवक्ता द्वारा नो–स्ट्रेक्शन प्लीड किये जाने के पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण पर विधिनुसार सम्मनों की तामील करवाये बिना उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाने का आदेश ही पारित किया गया है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 02.12.2019 को प्राथमिक रूप से स्वीकार करते हुए निर्णय करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। उसके पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्टगण एवं अन्य रेस्पोडेन्टगण को सूचित किये तहसीलदार लूणी के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त करते हुए निर्णय दिनांक 20.01.2020 पारित करते हुए अन्तिम डिकी पारित की गई एवं राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 282 की कुल भूमि 53 बीघा 02 बिस्वा में से 28 बीघा 11 बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 282/1 के रूप में रेस्पोडेन्ट संख्या शंकर के नाम से दर्ज की गई है। अपीलांट्स को निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.12.2019 व निर्णय व अन्तिम डिकी दिनांक 20.01.2020 की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 20.01.2021 को तहसीलदार लूणी के आदेश क्रमांक/भू.अ./2020/6556 दिनांक 24.12.2020 की पालना में ग्राम नंदवान के वादग्रस्त खसरा नम्बर 282 के सीमाकन ज्ञान हेतु गठित टीम मय हल्का पटवारी नंदवान के मौके पर पहुँचने एवं अपीलान्टगण को सूचित कर अपीलान्टगण की उपस्थिति में पर्चा मौका दिनांक 12.01.2021 तैयार किया गया, तब हुई है। जानकारी प्राप्त होते ही अपीलान्टगण द्वारा वादग्रस्त खसरा नम्बर 282 के संबंधित राजस्व रेकर्ड से जमाबंदी की प्रमाणित नकले एवं विचारण न्यायालय से निर्णय व डिक्री की प्रमाणित नकल प्राप्त करते हुए हस्तगत अपीले जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत की है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वाद संख्या 92/2014 अनवान शंकर बनाम भानिया इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री 02 दिसंबर 2019 निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20 जनवरी 2020 को खारिज फरमाया जावे एवं अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान कर मामला विधिनुसार पुनः निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या एक की खातेदारी भूमि है, जिसमें रेस्पोडेंट संख्या एक 1/2 हिस्सा निहित है। विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में हस्तगत मामले में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08 अप्रैल 2017 पारित की गई थी, जिसमें प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं होने से विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 के जरिये अपास्त किया गया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को मामले में सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त भी अपीलांट्स को सूचित किया गया तथा वे वक्त विभाजन प्रस्ताव तैयारी मौके पर हाजिर थे। जिससे साबित है कि अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पूर्व से ही जानकारी थी। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स की ओर से माह दिसंबर 2020 में वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान करवाया गया था, जिस समय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की राजस्व रेकर्ड में पालना हो चुकी थी, जिससे साबित है कि अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की उन्हें पूर्व से ही जानकारी थी। सहखातेदार हनुमानराम द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के आधार पर बेचाननामा भी निष्पादित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट रूप से साबित है कि अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी शुरूआत से ही रही है। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम मिथ्या एवं मनगढंग कारण अंकित कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील गुणावगुण पर सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किये जाते है तथा अपीले अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 282 रकबा 53 बीघा 02 बिस्वा ग्राम नंदवान वक्त सेटलमेंट भानियों न, मोटियो न, मंगलीयों न, लछियो न, गिरधारी, पुनमो बेटा मनरूप रां, शंकरियों बेटो शेरिया सरगरा के नाम से दर्ज रही है। उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के आधे हिस्से में मनरूप के पुत्र तथा आधे हिस्सा का वादी शंकर खातेदार काश्तकार है। विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान् उक्तानुसार दर्ज हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02 दिसंबर 2019 जारी किये गये

यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत मामले में पूर्व दिनांक 08.04.2017 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई थी। मामले में प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी प्रस्तुत कर एकपक्षीय निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री को निरस्त कर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 17.07.2018 स्वीकार कर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु पूर्व पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.04.2017 को खारिज किया गया था। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा आगामी तारीख पेशी दिनांक 05 अगस्त 2019 की सूचना बाबत दिनांक 29 जुलाई 2019 को प्रतिवादीगण श्री कूकाराम, मदनलाल एवं श्री छगनाराम को अपने स्तर से नोटिस जारी कर दिनांक 05 अगस्त 2019 नो–इंस्ट्रक्शन प्लीड किया जाना पाया जाता है, जिससे साबित है कि अपीलांट्स का हस्तगत मामले के प्रति उदासीन रवैया रहा है।

अपीलांट केसाराम द्वारा अदालत हाजा के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को स्वीकार किया गया है तथा अपीलांट्स को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री तथा निर्णय एवं अंतिम डिक्री की जानकारी पूर्व से ही होना स्वीकार किया है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 02.01.2020 के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार लूणी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना पाया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार लूणी के काउंटर हस्ताक्षर मौजूद है। तहसीलदार लूणी द्वारा पक्षकारान् को उनके हक–हिस्से अनुसार सड़क पर समान अनुपात में भूमि दी गई है। विचारण न्यायालय में द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किये गये है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दोनो अपीले स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 92/2014 अनवान शंकर बनाम भानिया इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री 02 दिसंबर 2019 निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20 जनवरी 2020 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2021-88RAAJodhpur2021-34RTA223 Lrs of Punama ors Vs Shankar et

2021-91RAAJodhpur2021-33RTA223 Lrs of Punama ors Vs Shankar et

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
1. पूनमा उर्फ पूनाराम पुत्र स्व. मदरूप जी (मृतक) के विधिक प्रतिनिधिः– 1.1. मोहनलाल पुत्र स्व पूनमा उर्फ पूनाराम (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि 1.1.1. श्रीमती कमला पत्नी स्व. मोहनलाल 1.1.2. जगदीश पुत्री स्व. मोहनलाल 1.1.3. राजूराम पुत्र स्व. मोहनलाल 1.1.4. इन्द्रा पुत्री स्व. मोहनलाल 1.2. केसाराम पुत्र स्व. पूनमा उर्फ पूनाराम 1.3. कुकाराम पुत्र स्व. पूनमा उर्फ पूनाराम 1.4. मदनलाल पुत्र स्व. पूनमा उर्फ पूनाराम 1.5. बाबूलाल पुत्र स्व पूनमा उर्फ पूनाराम (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि – 1.5.1. कैलाश उर्फ पिन्टु पुत्र स्व बाबूलाल 1.6. हरचंदराम पुत्र स्व	ब ना म	1. शंकर उर्फ शंकरलाल पुत्र स्व. सेरा उर्फ शेराराम, जाति सरगरा, निवासी ग्राम नंदवान तहसील लूणी जिला जोधपुर के विधिक प्रतिनिधिः– 1.1. नरपत पुत्र स्व. मोहनलाल, जाति सरगरा, निवासी– सांगरिया फांटा, जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर। 2. भानिया उर्फ भानाराम पुत्र स्व. मदरूप जी (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि 2.1. भैराराम पुत्र स्व भानिया उर्फ भानाराम (मृतक) के विधिक प्रतिनिधिः– 2.1.1. श्रीमती भीखी पत्नी स्व भैराराम 2.1.2. कुकाराम पुत्र स्व भैराराम 2.1.3. बंशीलाल पुत्र स्व भैराराम (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि 2.1.3.1. श्रीमती पुष्पा पत्नी स्व. बशीलाल 2.1.3.2. कालूराम पुत्र स्व बंशीलाल 2.1.3.3. प्रदीप पुत्र स्व. बंशीलाल 2.1.3.4. संगीता पुत्री स्व. बंशीलाल 2.1.4. प्रतापराम पुत्र स्व भैराराम 2.1.5. अशोक पुत्र स्व. भैराराम 2.1.6. सायरी पुत्री स्व भैराराम 2.2. बीरमाराम पुत्र स्व. भानिया उर्फ भानाराम (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि 2.2.1. श्रीमती सुआ पत्नी स्व. बीरमाराम (मृतक) 2.2.2. कैलाश पुत्र स्व. बीरमाराम 2.2.3. अनिल पुत्र स्व बीरमाराम 2.2.4. मुकेश पुत्र स्व. बीरमाराम 2.2.5. मनीष पुत्र स्व. बीरमाराम 2.2.6. मीमा पुत्री स्व. बीरमाराम 2.2.7. एलची पुत्री स्व बीरमाराम , 2.2.8. सरोज पुत्र स्व बीरमाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पूनमा उर्फ पूनाराम

1.7. बुद्धाराम पुत्र स्व पूनमा उर्फ पूनाराम

1.8. छगनाराम पुत्र स्व पूनमा उर्फ पूनाराम

1.9. बालाराम पुत्र स्व पूनमा उर्फ पूनाराम (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि

1.9.1. श्रीमती देवी पत्नी स्व बालाराम

1.9.2. प्रेम पुत्र स्व बालाराम

1.9.3. रमेश पुत्र स्व. बालाराम (मृतक) लाऔलाद

सभी जातियान सरगरा, सभी निवासीगण ग्राम नंदवान तहसील लूणी जिला जोधपुर।

2.3. हरचंद पुत्र स्व भानिया उर्फ नानाराम (मृतक) के विधिक प्रतिनिधिः—

2.3.1. महेन्द्र पुत्र रव हरचंद

2.3.2. पिन्टु पुत्र स्व. हरचंद

2.3.3. दौलाराम पुत्र स्व. हरचंद

2.3.4. भूपेन्द्र पुत्र स्व हरचंद

2.3.5. श्रीमती टीपू पत्नी स्व. हरचद

2.3.6. सुन्दर पुत्री स्व. हरचंद

3. मोटिया उर्फ मोटाराम पुत्र स्व मदरूप जी (मृतक) के निधिक प्रतिनिधिः—

3.1. रणछोडराम पुत्र स्व. मोटिया उर्फ मोटाराम

4. मंगलिया उर्फ मंगलाराम पुत्र स्व मदरूप जी (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि

4.1. भल्लाराम पुत्र स्व. मंगलिया उर्फ मंगलाराम

4.2. हडमानराम पुत्र स्व. मंगलिया उर्फ मंगलाराम

4.3. गीता पुत्री स्व मंगलिया उर्फ मंगलाराम

4.4. दाखु पुत्री स्व. मगलिया उर्फ मगलाराम

4.5. धापू पुत्री स्व मंगलिया उर्फ मंगलाराम

4.6. मुन्नी पुत्री स्व मंगलिया उर्फ मंगलाराम

सभी जातियान सरगरा, निवासीगण ग्राम नंदवान तहसील ल जिला जोधपुर।

1. राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02 दिसंबर 2019 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20 जनवरी 2020 सहायक कलक्टर लूणी राजस्व मूल वाद संख्या 92/2014 शंकर बनाम भानिया इत्यादि

यह अपील बतारीख 11 मार्च 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री नथाराम चौधरी मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री हनुमान प्रजापति अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआदोनो अपीले स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 92/2014 अनवान शंकर बनाम भानिया इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री 02 दिसंबर 2019 निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20 जनवरी 2020 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 11 मार्च 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर